कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

इन्द्रावती भवन, ब्लाक डी (भू तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
Ph. No. - 2263708, 2262558 Fax - 2262558 Email Id - pmscstobc@mail.com

क्रमांक / ऑ.ला.पो.मै.छा / 118 / 2021–22 / 674 नवा रायपुर, दिनांक 04.06.2021

वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन हेतु विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई. में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है कि कोविड–19 लॉकडाऊन के कारण / महाविद्यालयों में प्रवेश विलम्ब तथा परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने के कारण शिक्षा सत्र 2020–21 में छात्रवृत्ति हेतु वंचित विद्यार्थियों के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12 वीं से उच्चतर) के आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://mpsc.mp.nic.in/CGPMS वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं के प्रस्ताव / स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा लंबित विद्यार्थियों हेतु वर्ष 2020–21 में निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है :–

क्र.	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	पात्र लंबित विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन / नवीनीकरण)	दिनांक 10.06.2021 से दिनांक 17.06.2021
2.	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 10.06.2021 से दिनांक 19.06.2021 तक
3.	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 10.06.2021 से दिनांक 20.06.2021 तक
4.	Disburse (शासकीय / अशासकीय)	दिनांक 10.06.2021 से दिनांक 22.06.2021 तक
5.	भुगतान हेतु अनुमोदन (नोटशीट) (शासकीय एवं अशासकीय)	दिनांक 24.06.2021 तक अनिवार्य

टीप :– 1. वर्ष 2020–21 के छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम अवसर प्रदाय किया जा रहा है।

2. वर्ष 2020–21 में जिन विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन कर दिये है कृपया वे दुबारा आवेदन न करें। दुबारा आवेदन करने पर नियमानुसार विद्यार्थी एवं संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जावेगा।

3. सत्र 2020–21 हेतु निर्धारित तिथियों के पश्चात् विद्यार्थियों एवं संस्थाओं को पंजीयन / ड्राफ्ट / स्वीकृति करने की अनुमति प्रदाय नहीं किया जायेगा एवं संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

संचालक
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास
नया रायपुर, छ.ग.

G-61053

Scanned by CamScanner